राजस्थान ए.सी.बी. ने वर्ष 2022 के पहले चार माह में (जनवरी से अप्रैल) 156 प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी. एक्ट) में दर्ज कर अपने पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक 150 ट्रेप के, 5 आय से अधिक सम्पत्ति के तथा 1 प्रकरण पद के दुरूपयोग का, कुल 156 प्रकरण दर्ज किये है। गत वर्ष 2021 में इसी अवधि में 141 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें 130 ट्रेप के, 4 आय से अधिक सम्पत्ति के व 7 पद के दुरूपयोग के थे। वर्ष 2020 में यह संख्या 65 थी जिनमें 50 ट्रेप के, 4 आय से अधिक सम्पत्ति के व 13 पद के दुरूपयोग के थे।

इसी प्रकार निस्तारण में भी ए.सी.बी. ने रिकॉर्ड कार्यवाही कर जनवरी से अप्रेल तक 166 प्रकरणों में न्यायालयों में अनुसंधान रिपोर्ट नतीजा पेश किया है, जिनमें 144 चालान व 22 एफ.आर. शामिल है। वर्ष 2021 में 101 चालान, 15 एफ.आर. कुल 116 में तथा वर्ष 2020 में 80 चालान, 10 एफ.आर. कुल 90 प्रकरणों में इस अवधि में अन्तिम निस्तारण न्यायालयों में पेश किया गया।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में काफी संख्या में भ्रष्टाचार से पीड़ित परिवादियों ने ए.सी.बी. की हैल्पलाईन 1064 व व्हाटसएप हैल्पलाईन 9413502834 पर सूचना देकर ए.सी.बी. से भ्रष्ट लोकसेवकों व दलालों को रंगे हाथों पकड़वाया है। उनके द्वारा ए.सी.बी. में व्यक्त किये गये विश्वास के लिए टीम ए.सी.बी. आभारी है। टीम ए.सी.बी. सभी परिवादियों का आभार व्यक्त करती है जिन्होंने ए.सी.बी. में विश्वास रखकर रिश्वत को ना कहकर भ्रष्ट लोकसेवकों व दलालों को रंगे हाथों पकड़वाया।